परिशिष्ट-अ

[20/12/2019] 204

प्रश्न सं. [क्र. 1445]

कार्यालय मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 21 / 10 / 2019

पत्र क्रमांक 6471 गंगा / कार्य / 7– 1425 / किरहाई

प्रति,

अधीक्षण यंत्री
बाणसागर नहर मण्डल
रीवा (म0प्र0)

विषय– सतना जिले के अमरपाटन तहसील में पचास वर्ष पूर्व निर्मित किरहाई बॉध के भराव क्षेत्र में आने वाली आराजी क्र. 526 / 1–515 / 1 एवं 536 के सम्बन्ध में मुआवजा दिलाए जाने बावत्।

संदर्भ– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना का पत्र क्रमांक 2800 / भू.अ. / कार्य / सतना दिनांक 10.10.2019 . C/148

–00–

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको भी पृष्ठॉकित है। यह योजना वर्ष 1965–69 के बीच (लगभग पाचास वर्ष पूर्व) निर्मित हो चुकी है, तथा भूमियों का मुआवजा भुगतान वर्ष 1965 में किया गया था, किन्तु आज इतने अधिक अन्तराल के बाद यह लेख किया जा रहा है कि, अभी भी डूब क्षेत्र का मुआवजा भुगतान किया जाना शेष है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना से प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा अपनी पूर्ण सन्तुष्टि एवं अनुशंसा सहित वह प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख अभियन्ता भोपाल की ओर उनके पत्र क्र.3222447 / वृहद / भू.अ. / 2018 भोपाल दिनांक 31.07.2018 के सन्दर्भ में भेजा जा सकें। प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाय।

'' यह प्रमाणित किया जाता है कि, सतना जिले के अमरपाटन तहसील अन्तर्गत लगभग पचास व पूर्व निर्मित किरहाई बॉध के डूब क्षेत्र में अभी भी भूमि स्वामी.......................... (भूमि स्वामी का नाम लिखे) के खस क्र.................... (सम्बन्धित खसरों का उल्लेख करे) में .... हेक्टेयर रकबे का मुआवजा भुगतान करना शेष है अतः सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष है कि, उपरोक्तानुसार मुआवजा भुगतान करना अनिवार्य है, जिसके लि अनुशंसा की जाती है, उक्त मुआवजा का भुगतान करने के बाद इस योजना के अन्तर्गत अब किसी भी प्रकार मुआवजा भुगतान करना शेष नही रहेगा''। उपरोक्त प्रमाण पत्र में आपके द्वारा भी अपनी पूर्ण सन्तुष्टि के सा मुआवजा भुगतान करने की अनुशंसा की जाय, तभी यह प्रकरण प्रमुख अभियन्ता भोपाल की ओर भेजा जाना सम होगा। साथ ही उक्त आराजी का वर्ष 1965 से खसरा खतौनी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियंता
गंगा कछार जल संसाधन वि
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 21 / 10 / 201

पृ. क्रमांक 6472 / गंगा / कार्य / 7– 1425 / किरहाई

प्रतिलिपि–

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य अभियंता
गंगा कछार जल संसाधन वि
रीवा (म0प्र0)